5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक: /16/PBR/निगरानी नि ग - 2926 - PBR-16

अतर सिंह पुत्र रामदयाल निवासी मुरार, ग्वालियर म0प्र0

श्री अजय शर्मा अधि0
द्वारा आज दि 30.8.16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

——— निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरार, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी मुरार, ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक: 32/15–16/172 (4,5) आदेश दिनांक 5–8–2016

श्रीमान्

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी मुरार, ग्वालियर द्वारा ग्राम पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ता के भूमि सर्वे क्र 1741/1मिन1, 1742/1मिन1, पर अवैध रूप से व्यवसायिक व्यपवर्तन कर मैरिज गार्डन संचालन किया जाना बताते हुये अर्थदण्ड आरोपित किये जाने सम्बन्ध कारण बताओ सूचना पत्र प्रदान किया गया, निगरानीकर्ता द्वारा सूचना पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुये अपना जबाव प्रस्तुत किया गया और 05–08–2016 को प्रकरण की प्रचलनशीलता व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण किये बिना प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कर दिया गया जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी श्रीमान् के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. २१२६ –पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–2016	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से प्रकरण प्रचलनशीलता व क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिनके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशिका दिनांक 23–8–2016 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश में किया जायेगा, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	
	अध्यक्ष	